...सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 204 / 2023

प्रार्थीगण	बनाम विप्रार्थीगण
1. बाबूखां पुत्र उस्मान उम्र 50 वर्ष 2. चमसेर पुत्री उस्मान उम्र 40 वर्ष 3. सरीफो पुत्री उस्मान उम्र 48 वर्ष 4. हवलीदेवी पुत्री उस्मान उम्र 46 वर्ष 5. नाजु पुत्री उस्मान उम्र 52 वर्ष 6. नियोमत पुत्री उस्मान उम्र 42 वर्ष 7. पपिया पुत्री उस्मान उम्र 44 वर्ष 8. रोशन पुत्री उस्मान उम्र 56 वर्ष 9. जमालखान पुत्र नुरजा उम्र 45 वर्ष 10. रसूलखान पुत्र नूरजा उम्र 35 वर्ष 11. सतारखान पुत्र नूरजा उम्र 40 वर्ष जातियान मुसलमान कुम्हार निवासी गिरली कीतपाल तहसील सिणधरी हाल निवासी नौसर तहसील बायतु	1. दीनमोहम्मद पुत्र मेहरा उम्र 60 वर्ष जाति मुसलमान कुम्हार निवासी गिरली कीतपाल तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 2. धनकंवर पत्नि दुर्गसिंह उम्र 50 वर्ष जाति राजपूत निवासी नौसर तहसील बायतु जिला बालोतरा 3. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भूका भगतसिंह 4. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 4 के पैरोकार सरकार उप0। शेष एकतरफा।

<u>निर्णय</u>

दिनांक– 30.01.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है कि प्रार्थीगण तथा विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 150 / 75 र[illegible]00 हैक्टेयर मौजा गिरली कीतपाल पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सि[illegible] आया हुआ है। कि उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी संख्या 1 का 1[illegible]/60 हिस्सा तथा [illegible]गण संख्या 2 से 8 का 1 / 60–1 / 60 हिस्सा तथा प्रार्थीगण संख्या 9 से 11 प्रत्[illegible] का 1 / 180–1 / 180 जो प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1 / 3 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। इसी अनुरूप हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण की खुल्ली हुई है तथा राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अलग अलग हिस्से दर्ज है एवं इसी हिस्सो में माफिक प्रार्थीगण विवादित भूमि पर काबिज है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:40:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

था मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है परन्तु प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेढों को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे तथा अरसा पांच दिन पूर्व विप्रार्थीगण संख्या 1 ने प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि का किसी अजनबी क्रेता के पक्ष में बैचान करने की धमकी दी, प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड़ने पर ऊतारू होकर प्रार्थीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रद्दोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थीगण को सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते है जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है इस तथ्य को लेकर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य अरसा एक माह से तनाव की स्थिति बनी हुई है, साथ ही प्रार्थीगण अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सहकारी संस्था एवं विकास बैंक जैसी संस्थाओं से ऋण लेना चाहते है किन्तु भूमि सामलाती होने से प्रार्थीगण को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब विप्रार्थीगण बेशकीमती व विशिष्ट भू–भाग वाली भूमि को किसी अजनबी क्रेता के पक्ष में बैचान करने एवं नया निर्माण आदि कर हथियाने का प्रयास कर रहे है तथा विप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में पेड़–पौधों का काटकर जे.सी.बी. मशीन से खुदाई शुरू कर ट्रेक्टर ट्रॉलियों से प्रार्थीगण के खेत से मुरड़ा/मिट्टी को निकाला जा रहा है, प्रार्थीगण के कब्जा काश्त से आवागमन के रास्ता/मार्ग तक आने जाने हेतु बाधा कारित करते है जबकि भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा नहीं किया हुआ होने के कारण सामलाती भूमि में विप्रार्थीगण विशिष्ट भूमि–भाग निर्माण, खुदाई आदि करवाने के अधिकारी नहीं है क्योंकि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक ईंच पर समान हक व हिस्सा होता है तथा प्रार्थीगण के हिस्से की कब्जे काश्त की भूमि में मौखिक बंटवाड़े अनुसार कायम सेढे को तोड़कर विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर रहे है तथा प्रार्थीगण के कब्जासुदा खातेदारी खेत में जे.सी.सी. मशीन द्वारा मिट्टी खुदाई का कार्य किया जा रहा है, यदि ऐसा करने में विप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है। कि सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में रेकर्डेड खातेदार है जिनका वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है परन्तु विप्रार्थीगण द्वारा सड़क किनारे विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण आदि करने पर प्रयासरत है जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर खेत खसरा संख्या 150/75 रकबा 8.0900 हैक्टेयर मौजा गिरली कीतपाल पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 व उसके परिवार सदस्य या एजेन्ट किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें तथा न ही विप्रार्थीगण सुंयक्त खातेदारी भूमि का बैचान करे तथा न ही जबरन प्रार्थीगण को बेदखल करने का प्रयास करें तथा न ही प्रार्थीगण के हिस्से पर काश्त करें तथा न [illegible] पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का नया निर्माण या खुदाई करें एवं राजस्व रेकर्ड में यथास्थिति बनाये रखने तथा प्रार्थीगण को आवागमन के रास्ते तक आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा पैदा नहीं करें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:40:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

सं. 1 से 17 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। कि प्रार्थीगण तथा विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 150/75 रकबा 8.0900 हैक्टेयर मौजा गिरली कीतपाल पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में आया हुआ है। कि उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी संख्या 1 का 11/60 हिस्सा तथा प्रार्थीगण संख्या 2 से 8 प्रत्येक का 1/60–1/60 हिस्सा तथा प्रार्थीगण संख्या 9 से 11 प्रत्येक का 1/180–1/180 हिस्सा जो प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। इसी अनुरूप हिस्साकरसी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण की खुल्ली हुई है तथा राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अलग अलग हिस्से दर्ज है एवं इसी हिस्सो में काफिक प्रार्थीगण विवादित भूमि पर काबिज है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है परन्तु प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेढो को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे तथा अरसा पांच दिन पूर्व विप्रार्थीगण संख्या 1 ने प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि का किसी अजनबी क्रेता के पक्ष में बैचान करने की धमकी दी, प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड़ने पर ऊतारू होकर प्रार्थीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रद्दोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थीगण को सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते है जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है विप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में पेड़–पौधों का काटकर जे.सी.बी. मशीन से खुदाई शुरू कर ट्रेक्टर ट्रॉलियों से प्रार्थीगण के खेत से मुरड़ा/मिट्टी को निकाला जा रहा है, प्रार्थीगण के कब्जा काश्त से आवागमन के रास्ता/मार्ग तक आने जाने हेतु बाधा कारित करते है जबकि भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा नहीं किया हुआ होने के कारण सामलाती भूमि में विप्रार्थीगण विशिष्ट भूमि–भाग निर्माण, खुदाई आदि करवाने के अधिकारी नहीं है क्योंकि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक ईंच पर समान हक व हिस्सा होता है तथा प्रार्थीगण के हिस्से की कब्जे काश्त की भूमि में मौखिक बंटवाड़े अनुसार कायम सेढे को तोड़कर विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर रहे है तथा प्रार्थीगण के कब्जासुदा खातेदारी खेत में जे.सी.सी. मशीन द्वारा मिट्टी खुदाई का कार्य किया जा रहा है, यदि ऐसा करने में विप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है। कि सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में रेकर्डेड खातेदार है जिनका वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। जहां तक प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेदो को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड़ रहे है एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रखोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थी को सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते है के सन्दर्भ में लेकिन विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने के कारण यदि दौराने विचारण वाद प्रार्थी को कब्जा शुदा खातेदारी भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि की मौके स्थिति में भी फेरबदल हो जाता है, तो प्रार्थी को क्षति होनी की संभावना बढती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:40:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में हस्तगत आवेदन में प्रार्थी वकील द्वारा प्रकट तर्क एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रथम द्रष्यता प्रार्थी राहत प्राप्त करने के हकदार प्रतीत है। अतःप्रथम द्रष्यता प्रकरण मे अन्तरिम स्थगन आदेश किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा विप्रार्थीगण के विरूद्व जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.10.2023 कि वे "मौजा मौजा गिरली कीतपाल पटवार क्षेत्र डण्डाली की खसरा संख्या 150/75 क्षेत्रफल 8.0900 हैक्टयर भूमि के सबंध में राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें।" को ताफैसला मूल वाद तक कन्फर्म किया जाता है।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:40:28 IST
Reason: SelfAttested